88

राजस्थान सरकार

सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)

(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

क्रमांकः– एफ 61 (110) SSAAT / स.सा.अंके. / 2020-21/ जयपुर, दिनांकः

(आदेश संख्या 15 / 2020)

जिला कलेक्टर एवं

जिला कार्यक्रम समन्वयक

समस्त।

विषय :–मनरेगा अन्तर्गत समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने हेतु वीडियों कान्फ्रेन्स द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिनांक 22.12.2020 को वीडियों कान्फ्रेन्स (V.C) द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संपादित किया गया जिसमे जिला एवं पंचायत समिति स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं संसाधन व्यक्तियों ने भाग लिया, वीडियों कान्फ्रेन्स (V.C) में जिला एवं पंचायत समिति अधिकारियों एवं संसाधन व्यक्तियों द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन चाहा गया, जिसके बिन्दुवार निर्देश सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त कार्यवाही विवरण में उल्लेखित कर दिया गया है।

समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण हेतु निर्धारित कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर सम्पन्न कराने का श्रम करावे।

~ Sd/-

(रामावतार शर्मा)

निदेशक

सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही

एवं पारदर्शिता सोसायटी, राजस्थान

क्रमांकः– एफ 61 (110) SSAAT / स.सा.अंके. / 2020-21/2235-46 जयपुर, दिनांकः 29-12-2020

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप सचिव, श्रीमान् मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, [illegible] शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) राजस्थान, जयपुर।

4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
5. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।
6. कार्यालयाध्यक्ष, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यों की रिपोर्टस प्राप्ति और तत्पश्चात सोसायटी में प्रचलित नियमानुसार उपयुक्त भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
7. आहरण वितरण अधिकारी, सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समस्त भुगतान व्यवस्था समय पर होना, उसकी सूचना प्राप्तकर्ताओं को सके इस बाबत उचित व्यवस्था सुनिश्चित करावें।
8. सहायक लेखाधिकारी, I, II सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी, (SSAAT) समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) की समस्त व्यवस्था को अपने आवंटित जिलों में कराया जाना सुनिश्चित करावें और रिपोर्टस नियमित रूप से प्राप्त करवा भारत सरकार को समय पर भिजवाने और ब्लॉक/ग्राम संसाधन व्यक्तियों को समय पर भुगतान कराना सुनिश्चित करावें।
9. प्रोग्रामर, सूचना सहायक को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की उपयुक्त MIS Reporting व्यवस्था सुनिचिश्त करें। प्राप्त रिपोर्टस की नियमित रूप से सूचना भारत सरकार को भिजवाना, भुगतान व्यवस्था एवं अन्य समस्त आवश्यक सूचनाओं का नियमित रूप से website पर publication सुनिश्चित करावें।
10. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर/प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग/मनरेगा/पंचायती राज विभाग को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपकी विभागीय website पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
11. समस्त अधिकारी/कर्मचारी गण (SSAAT) को पालनार्थ.
12. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)
निदेशक,
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसायटी(SSAAT)